



**icmr**  
INDIAN COUNCIL OF  
MEDICAL RESEARCH  
Serving the nation since '91

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार  
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research  
Department of Health Research, Ministry of Health  
and Family Welfare, Government of India

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 4911,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029, भारत  
V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911,  
Ansari Nagar, New Delhi - 110 029, India

Tel: +91-11-26588895 / 26588980 / 26589794  
+91-11-26589336 / 26588707  
Fax: +91-11-26588662 | icmr.nic.in

फा. सं.20/01/2001-हिंदी

दिनांक: 03.11.2025.

## कार्यालय आदेश

**विषय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश।

श्री जे. पी. नड्डा, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की 22 अगस्त, 2025 को हुई बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं-

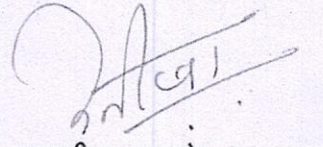
1. 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकार के कार्यालयों या गैर-सरकारी व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले सभी अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं। यदि आवश्यक हो तो उनका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जा सकता है।
2. सभी वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रशीर्ष (लेटरहेड), विजिटिंग कार्ड तथा उनकी रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में ही होने चाहिए।
3. फाइलों पर 80 प्रतिशत से अधिक टिप्पणियाँ हिंदी में की जानी चाहिए।
4. केंद्रों/संस्थानों के सभी निदेशकों/निदेशक प्रभारियों और वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने संस्थानों/केंद्रों में लक्ष्य के अनुरूप 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ पत्राचार हिंदी में करवाएं। यदि आवश्यक हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जा सकता है।
5. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत बताए गए 14 प्रकार के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से एक साथ जारी किए जाएं।
6. कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे लोगो, नामपट्ट, सूचनापट्ट और लिफाफों पर लेखन सामग्री आदि के शीर्षकों को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में लिखा जाए।
7. रजिस्ट्रारों और सेवा पुस्तिकाओं के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएं तथा प्रविष्टियां भी हिंदी में की जाएं।
8. हिंदी में प्राप्त या हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए।
9. केंद्रों/संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री को द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया जाए। यह अनिवार्य है।



10. केंद्रों/संस्थानों के सभी शोधकर्ताओं को अपना शोधकार्य हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए और इस हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएं।

अतः परिषद के सभी केंद्रों/संस्थानों के सभी संवर्गों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उक्त सभी निदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

निदेशक / निदेशक प्रभारी,  
परिषद के सभी संस्थान/केंद्र।



(मनीषा सक्सेना)

वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि -:

1. महानिदेशक कार्यालय
2. अपर महानिदेशक कार्यालय (दोनों)
3. वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय
4. वरि. वित्त सलाहकार
5. सभी प्रभाग प्रमुख:- परिषद मुख्यालय
6. बीएमआई कक्ष - परिषद की वेबसाइट पर उक्त कार्यालय आदेश को अपलोड करने हेतु।